न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री उत्तमसिंह मदेरणा आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 1/279/2012
वउनवान

1. रामकुंवार पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
----- वादी

बनाम

1. सुमरतलाल पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा
2. सुखराम पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा
3. श्रीराम पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर
5. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

---- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-
श्री सुभाषचन्द शर्मा एडवोकेट - वकील वादी

निर्णय

दिनांक 14.07.2017

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 231, 266, किता 2 रकवा 1.50 हे. ग्राम रामपुरा व खसरा नम्बर 469, 472, 489, 489/288, 490 किता 5 रकवा 2.06 हे. ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी वादी के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा की ज्वाइण्ट होल्डिंग की आराजी है। विवादित आराजी पर वादी एंव प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिस आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान पक्षकारान शामलात में ही अदा कर रहे है। प्रतिवादीगण जबर्दस्त व्यक्ति हैं जो उक्त आराजी में वादी के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः वादी विवादित आराजी में अपने 1/4 हिस्सा की आराजी तकसीम कराने राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अलग खाता खुलवाने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी हैं। अतः दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी को एकपक्षिय रुप से सुनकर दावा वादी दिनांक 21.12.2016 को एकपक्षिय प्रारम्भिक रुप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर से कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 07.07.2017 को हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस सुनी गयी। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुरेंजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर दावा वादी अंतिम रुप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी अंतिम रुप से डिक्री किया जाकर वादी रामकुंवार को आराजी खसरा नम्बर 469 मिन रकवा 0.20 हे. तर्फ उत्तर खसरा नम्बर 472 मिन रकवा 0.11 हे. तर्फ पूर्व, खसरा नम्बर 489 मिन रकवा 0.07 हे. तर्फ पश्चिम, खसरा नम्बर 490 मिन रकवा 0.13 हे. तर्फ पूर्व वाके ग्राम खेरलीरेल प्रतिवादी संख्या 1 ला03 सुमरतलाल, सुखराम, श्रीराम को आराजी खसरा नम्बर 469 मिन रकवा 0.58 हे0 472 मिन रकवा 0.33 हे. तर्फ पश्चिम खसरा नम्बर 489 मिन रकवा 0.18 हे. तर्फ पूर्व खसरा नम्बर 490 मिन रकवा 0.41 हे. तर्फ पश्चिम, खसरा नम्बर 489/1288 रकवा 0.05 हे. तर्फ पूर्व वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर तकसीम में दिये जाते है तथा आराजी खसरा नम्बर 231 रकवा 0.26 हे. तर्फ दक्षिण खसरा नम्बर 266 रकवा 0.10 हे. तर्फ उत्तर वाके ग्राम रामपुरा वादी रामकुंवार को खसरा नम्बर 231 मिन रकवा 0.75 हे. तर्फ उत्तर व खसरा नम्बर 266 रकवा 0.39 हे. तर्फ दक्षिण प्रतिवादी संख्या 1 ला03 सुखराम, सुमरतलाल, श्रीराम को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ला03 के नाम अलग अलग खाता कायम कर नक्शा ट्रेस में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उत्तमसिंह मदेरणा
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 14.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उत्तमसिंह मदेरणा
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री उत्तमसिंह मदेरणा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/279/2012

वउनवान

1. रामकुंवार पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

----- डिक्रीदार

बनाम

1. सुमरतलाल पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा
2. सुखराम पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा
3. श्रीराम पुत्र हीरा जाति मीना निवासी रामपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर
5. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

---- मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादी रामकुंवार को आराजी खसरा नम्बर 469 मिन रकवा 0.20 हे. तर्फ उत्तर खसरा नम्बर 472 मिन रकवा 0.11 हे. तर्फ पूर्व, खसरा नम्बर 489 मिन रकवा 0.07 हे. तर्फ पश्चिम, खसरा नम्बर 490 मिन रकवा 0.13 हे. तर्फ पूर्व वाके ग्राम खेरलीरेल प्रतिवादी संख्या 1 ला03 सुमरतलाल, सुखराम, श्रीराम को आराजी खसरा नम्बर 469 मिन रकवा 0.58 हे0 472 मिन रकवा 0.33 हे. तर्फ पश्चिम खसरा नम्बर 489 मिन रकवा 0.18 हे. तर्फ पूर्व खसरा नम्बर 490 मिन रकवा 0.41 हे. तर्फ पश्चिम, खसरा नम्बर 489/1288 रकवा 0.05 हे. तर्फ पूर्व वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर तकसीम में दिये जाते है तथा आराजी खसरा नम्बर 231 रकवा 0.26 हे. तर्फ दक्षिण खसरा नम्बर 266 रकवा 0.10 हे. तर्फ उत्तर वाके ग्राम रामपुरा वादी रामकुंवार को खसरा नम्बर 231 मिन रकवा 0.75 हे. तर्फ उत्तर व खसरा नम्बर 266 रकवा 0.39 हे. तर्फ दक्षिण प्रतिवादी संख्या 1 ला03 सुखराम, सुमरतलाल, श्रीराम को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ला03 के नाम अलग अलग खाता कायम कर नक्शा ट्रेस में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करे।

आज दिनांक 14.07.2017 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गयी।

उत्तमसिंह मदेरणा
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)